बिहार राज्य अभिलेखागार इंटर्नशिप कार्यक्रम

1. यह इंटर्नशिप कार्यक्रम उन छात्रों को जोड़ने का प्रयास करता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर/एम. फिल या पीएच.डी. में भारत या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में नामांकित है। इन छात्रों को "इंटर्न" के रूप में जाना जाएगा। इन 'इंटर्न्स' को बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय की विभिन्न शाखाओं/जैसे अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख संरक्षण तथा अभिलेखों के प्रबंधन की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। "इंटर्न्स" के लिए यह अनुभव अभिलेखागार के कार्य और उसकी व्यवहारिक प्रक्रिया को समझने का एक अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनके भविष्य की रूचियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

2. यह इंटर्नशिप बिना मानदेय के होगी।

3. कार्यक्रमः–

3.1 कार्यक्रम का नाम : बिहार राज्य अभिलेखागार इंटर्नशिप कार्यक्रम।

3.2 उद्देश्यः चयनित उम्मीदवारों को बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय की विभिन्न शाखाओं/इकाईयों/प्रभागों/प्रयोगशालाओं में अल्पकालीन अनुभव प्रदान करना।

3.3 कार्यक्रम के उद्देश्यः

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

(a) युवाओं की शैक्षणिक प्रतिभाओं को बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के कार्य से जोड़ना जिससे उन्हें बहुआयामी लाभ प्राप्त हो सके।

(b) इंटर्न को अभिलेख प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करने और निदेशालय को रिकार्ड प्रबंधन/संरक्षण में सहायता करने का अवसर मिलेगा, जिससे विभिन्न प्रकार के संदर्भ उपकरणों/मीडिया/संदर्भ सूची/अनुक्रमणिका/पत्र/रिपोर्ट आदि तैयार करना और बिहार की दस्तावेजीय विरासत की जानकारी एकत्र करना शामिल है।

3.4 इंटर्नशिप

(i) इंटर्नशिप वर्ष भर बिहार राज्य अभिलेखागार की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध रहेगी।

(ii) पात्रताः– भारत या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रमाणित (Bonafide) विद्यार्थी निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करने पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैः–

(a) स्नातक छात्र या जिन्होंने स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा दी हो या पूरी की हो

और 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% या समकक्ष अंक प्राप्त किए हों।

(b) स्नातकोत्तर छात्र या जिन्होंने स्नातकोत्तर सत्र के प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दी हो या पीएच.डी./शोध कर रहे हों और स्नातक में न्यूनतम 60% या समकक्ष अंक प्राप्त किया हो।

(c) वे छात्र जो फाइनल परीक्षा के लिए पंजीकृत हो या जिन्होंने हाल ही में स्नातक/स्नातकोत्तर पूरा किये हां यो उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश हेतु प्रतीक्षा में हो। उनके लिए भी इंटर्नशिप के लिए विचार किया जा सकता है बशर्त्ते वे उपर्युक्त मापदंडों को पूरा करते हों। उन्होंने अपने स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षों/सेमेस्टरों में कुल मिलाकर 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

परीक्षा के परिणाम की अवधि एवं इंटर्नशिप की अवधि छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) **अवधिः** इंटर्नशिप की अवधि कम से कम तीन सप्ताह की होनी चाहिए लेकिन छः महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इंटर्न निर्धारित अवधि पूरी नहीं करेंगे, उन्हें कोई प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

(घ) **अनुभव प्रमाण–पत्रः** सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने पर बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के निदेशक द्वारा जारी किया जायेगा।

(ड.) **लॉजिस्टिक्स और समर्थनः** इंटर्न को अपने स्वयं के लैपटॉप लाने होगें। बिहार राज्य अभिलेखागार उन्हें कार्य, स्थान, इंटरनेट सुविधा और अन्य आवश्यकताएं उपलब्ध कराएगा, जैसा कि निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जायेगा।

3.6 आवेदन की प्रक्रिया और शर्त्तें:

(i) इच्छुक आवेदक प्रत्येक महीने की 1 से 10 तारीख के बीच वेबसाईट/निदेशालय पर उपलब्ध प्रारूप में इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं या योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन प्लेन पेपर पर कार्यालय में दे सकते हैं। संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन अधिकतम छः महीने पहले एवं कम से कम एक महीने पहले अवश्य किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई आवेदक 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली इंटर्नशिप में भाग लेना चाहता है तो वह 18 अक्टूबर से 18 मार्च के बीच में आवेदन कर सकता है। इंटर्नशिप करने के लिए पहले से भेजे गये आवेदन मान्य होंगे।

(ii) एक उम्मीदवार एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है।

(iii) जो आवेदक पात्रता की शर्त्तें पूरी नहीं करते हैं उनका आवेदन बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जायेगा। केवल चयनित उम्मीदवारों को ही सूचित किया जायेगा। चयनित उम्मीदवारों के नाम निदेशालय की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किए जाऐंगे।

(iv) चयनित आवेदकों को ज्वाइनिंग के समय मूल अंक पत्र और संस्था/कॉलेज से एन.ओ.सी. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एन.ओ.सी. प्रारूप परिशिष्ट 'A' में संलग्न है।

3.7 चयन प्रक्रिया और कार्यक्रम की अन्य प्रक्रियाएंः—

(i) निदेशालय में प्राप्त सभी आवेदनों की जांच Screening Committee द्वारा की जायेगी और चयनित आवेदकों की अनुशंसा/बिहार राज्य अभिलेखागार के निदेशक के द्वारा अंतिम रूप से चयन एवं अनुमोदन के पश्चात् की जायेगी।

(ii) पुराभिलेखपाल/शाखा/प्रभाग/इकाई/प्रभाग इंचार्ज/अधिकारी अधिकतम तीन इंटर्न को एक समय में इंटर्नशिप के लिए ले सकते हैं। यह संख्या अभिलेख निदेशक की अनुमति से पांच तक बढ़ाई जा सकती है। किसी भी उम्मीदवार को इंटर्न के रूप में योग्य ठहराने का निर्णय अंतिम रूप से अभिलेख निदेशक द्वारा लिया जायेगा।

(iii) चयनित उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अभिलेख निदेशक द्वारा ऑफर लेटर जारी करने से पहले संबंधित पुराभिलेखपाल को अपने विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से प्राप्त NOC की साफ्ट/हार्ड कॉपी सौंपे। NOC में यह स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि छात्र किसी ऐसे पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं है जिसके लिए कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य हो। संबंधित पुराभिलेखपाल को अपने इंटर्न से ज्वाईनिंग के समय उनके कॉलेज/संस्थान से निर्गत NOC की मूल प्रति प्राप्त करनी होगी तथा मूल दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता का सत्यापन करना होगा। इसमें यदि कोई विसंगति पायी जाती है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iv) प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर बिहार राज्य अभिलेखागार पात्रता मापदंड पूरा करने के बावजूद उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने और स्क्रीनिंग की विधि तय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(v) जिस पुराभिलेखपाल के मार्गदर्शन में इंटर्न कार्य करेंगे वे यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे कि कार्य योजना और परिणाम जो इंटर्न के साथ आपसी सहमति से तय किए

गए है, संतोषजनक रूप से पूरे किये गये हैं। इंटर्न को अपने कार्यकाल के अंत में एक संक्षिप्त रिपोर्ट/पेपर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वे अपने अधिगम अनुभव का विवरण देंगे।

(vi) रिकार्ड प्रशासन से संबंधित संगोष्ठियां/प्रस्तुतियां जो अभिलेखागार से संबंधित हो का आयोजन पुराभिलेखपाल द्वारा उनके इंटर्न के लिए निदेशक की आज्ञा से प्रायोजित की जा सकती है।

3.8 उपस्थितिः—

बिहार राज्य अभिलेखागार में इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवार की न्यूनतम उपस्थिति 75% होनी चाहिए एवं उन्हें प्रतिदिन आने—जाने का समय अंकित करना होगा। यदि उपस्थिति 75% से कम रहती है तो इंटर्नशिप अवधि में विस्तार नहीं दिया जायेगा और कोई प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जायेगा। उपस्थिति रिकार्ड एवं कार्य पर्यवेक्षण का विवरण संबंधित पुराभिलेखपाल द्वारा दिया जायेगा।

3.9 यह सख्ती से पालन किया जाना चाहिए कि इंटर्नस का आचरण एवं उनके द्वरा डेटा/सूचना तक की पहुंच की पूरी जिम्मेवारी संबंधित पुराभिलेखपाल/मार्गदर्शक की होगी।

3.10 कार्यक्रम (इंटर्नशिप) समीक्षाः—

बिहार राज्य अभिलेखागार को किसी भी समय इंटर्नशिप कार्यक्रम की समीक्षा करने का अधिकार होगी। इस प्रकार समीक्षा किया गया कार्यक्रम बिहार राज्य अभिलेखागार की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

3.11 छूटः—

बिहार राज्य अभिलेखागार के निदेशक को उपरोक्त शर्त्तों में से किसी भी शर्त्त को किसी उम्मीदवार के संदर्भ में शिथिल करने का अधिकार होगा।

4. इस पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।